

17/8/2021

पतावली चेय हूँ।
 कारिया तथा उसके अधिकार के कर - कर
 आगनें लगाई गई परन्तु आगनों के कवचूद भी
 न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अतः दावा कारिया
 अल्प राफरी - अल्प रैरवी में स्वीकृत डिपा जाय है।
 पतावली अपनी गच्छर से कर लेकर काठिल स्फर है।


 उपखण्ड अधिकारी
 लाडनू